रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 27, 1994/माघ 7, 1915

No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 1994/MAGHA 7, 1915

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1994

सं. 3/94—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 33(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 12घ के साथ पठित धारा 37 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 1992 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 1992 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है),—

(क) नियम 2 में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) "आवेदक" से उपभोक्ता सहकारिताओं विशिष्टतया महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की ग्राम/मंडल/समिति स्तर की उपभोक्ता सहकारिताओं या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) में यथा परिभाषित ऐसे उद्योग जिसकी ब्यूरो द्वारा सिफारिश की गई है कि वे पांच वर्ष की अवधि से किसी ऐसे जीवनक्षम और उपयोगी अनुसंधान क्रियाकलाप में लगा हुआ हैं जिसने सामूहिक उपभोग के उत्पादों का मानक चिह्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है या करने की संभावना है या राज्य सरकारों सहित कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण/संगठन जो तीन वर्ष की अवधि से उपभोक्ता कल्याण क्रियाकलाओं में लगा है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इन नियमों के नियम 8 के खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट विधिक खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता भी है;";

(ii) खंड (झ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(झक) "उचित अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम के अधीन यह आदेश करने की शक्ति है कि सम्पूर्ण शुल्क या उसका कोई भाग प्रतिदेय है;"

(ख) नियम 5 के उपनियम (2) में निम्नलिखित परन्तुक अंत में अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और उपभोक्ता समन्वय परिषद् के एक नामनिर्देशिति को, जब कभी आवश्यक हो, अधिवेशनों में आमंत्रित कर सकेंगे ।";

(ग) नियम 6 में, "समिति की प्रक्रिया" शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"कारबार के संचालन की प्रक्रिया";

(घ) नियम 8 के खंड (घ) में, "व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
"चयनित आधार पर";

(ङ) नियम 8 के खंड (ङ) में, "जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उपभोक्ता कल्याण के लिए आवश्यक और समीचीन होने वाला विनिर्देश किया जाए," शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"जो समिति द्वारा समुचित समझा जाए,";

3. उक्त नियमों में, उससे उपाबद्ध प्ररूप-क 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

"प्ररूप—क 1

(उपभोक्ता कल्याण निधि नियम, 1992 का नियम 8 देखिए)

महत्वपूर्ण : कृपया सही ब्यौरे देते हुए जिन्हें मांगा गया है और जो सत्यापनीय कार्यकलापों की सही स्थिति पर आधारित हों, किसी तात्विक जानकारी को छिपाए बिना, जिसे करने से अधिनियम के अधीन अभियोजन चलाया जा सकेगा, इस प्ररूप को भरें ।

1. आवेदक का नाम और डाक का पूरा पता :

2. नियम 2 के खंड (ख) के अधीन आवेदक की प्रास्थिति :

3. स्थापना की तारीख :

4. क्या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) या किसी अन्य सुसंगत अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

5. यदि हों तो रजिस्ट्रीकरण संख्या और वर्ष (रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न कीजिए) :

6. क्या संगठन राष्ट्रीय/राज्य स्तर का है । :

7. प्रबंध समिति के सदस्यों की संख्या तथा पदाधिकारियों के नाम, पते और उपजीविका की सूची :

8. संगठन, उसके उद्देश्यों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा :

9. प्रयोजन जिसके लिए, रकम अपेक्षित है (कृपया परियोजना के ब्यौरे और उसका प्रस्तावित कार्यान्वयन कथित करें) :

10. अपेक्षित अनुदान की रकम—
अनावर्ती/आवर्ती के अधीन मदवार ब्यौरे संलग्न कीजिए :

11. किए गए क्रियाकलापों की समय अनुसूची :

12. आवेदक द्वारा उपगत/विनिहित या आवेदक द्वारा उपगत की जाने वाली कुल रकम :

13. अतिशेष रकम के निधिकरण के स्रोत क्या संगठन किसी अन्य शासकीय/गैरशासकीय स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है ? यदि हां तो ब्यौरे दीजिए । :

14. पिछले पांच वर्ष के दौरान आवेदक के विरुद्ध किसी न्यायालय में प्रारम्भ किए गए किसी अभियोजन के, यदि कोई हों, ब्यौरे :

15. निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न कीजिए :—

(i) संगठन का गठन और संगम अनुच्छेद

(ii) अन्तिम वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखा विवरण ।

घोषणा

(आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर की जाए) इसमें इसके पूर्व दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं । कुछ भी तात्विक छिपाया नहीं गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने उन मार्गदर्शनों, निबंधनों और शर्तों को पढ़ लिया है जो स्कीम को शासित करते हैं और मैं/हम अपने संगठन/संस्था की ओर से उनका पालन करने का वचन देता हूं/देते हैं । वित्तीय सहायता यदि दी गई तो, उपभोक्ताओं के अधिकारों या मानक चिह्नों की प्रोन्नति और संरक्षण के घोषित उपयोग के लिए प्रयोग की जाएगी । (जो लागू न हो उसे काट दीजिए) ।

तारीख———— आवेदक

स्टेशन————

सेवा में,

सदस्य सचिव,
समिति (उपभोक्ता कल्याण निधि)
कृषि भवन, नई दिल्ली

सदस्य-सचिव की सिफारिश

आवेदन में दिए गए तात्विक ब्यौरों का मंत्रालय/विभाग के————————अभिकरण के, जो इस विषय में प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध है, परामर्श से, सत्यापन कर लिया गया है और वे सही/गलत पाए गए हैं। आवेदक के दावों की समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए सिफारिश की जाती है । (कृपया अपनी सिफारिश के समर्थन में कारण दें) ।

सदस्य-सचिव
समिति (उपभोक्ता कल्याण निधि)

समिति की सिफारिश

————(तारीख) को हुई बैठक में किए गए विचार-विमर्श के अनुसार उपभोक्ता कल्याण निधि में से ————रुपए (————शब्दों में) के अनुदान के लिए सिफारिश की जाती है ।

अध्यक्ष

समिति"

[फा. संख्या 313/3/90-सी. एक्स.-10(पार्ट)]

जतिंदर पाल सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मुख्य नियम भारत के असाधारण अधिसूचना संख्या 29/92—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी) दिनांक 25 नवम्बर, 1992 [सा. का. नि. 895 (अ) के तहत प्रकाशित किये गये थे] ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 1994

NO. 3/94-CENTRAL EXCISES (N.T.)

G.S.R. 33(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 37, read with section 12D of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Consumer Welfare Fund Rules, 1992, namely :—

1. (1) These rules may be called the Consumer Welfare Fund (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Consumer Welfare Fund Rules, 1992 (herein after referred to as the said rules),—

(a) in rule 2,—

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely :—

"(b) "Applicant" means any agency/organisation engaged in consumer welfare activities for a period of three years registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under any other law for the time being in force, including village/mandal/samiti level co-operatives of consumers especially Women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, or any industry as defined in the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947)

recommended by the Bureau to be engaged for a period of five years in viable and useful research activity which has made, or is likely to make, significant contribution in formulation of standard mark of the products of mass consumption, or State Government, and includes a consumer for the purpose of reimbursing legal expenses as referred to in clause (d) of rule 8 of these rules;";

(ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ia) "Proper Officer" means the officer having the power under the Act to make an order that the whole or any part of the duty is refundable;";

(b) in rule 5, in sub-rule (2) the following proviso shall be inserted at the end, namely :—

"Provided that the Chairman or Vice-Chairman, as the case may be, may invite representatives of the State Governments concerned and a nominee of the Consumer Co-ordination Council to the meetings as and when necessary.";

(c) in rule 6, for the heading "Procedure of the Committee" the following heading shall be substituted, namely :—

"Procedure for conduct of business";

(d) in rule 8, in clause (d), after the word "grants" the following words shall be inserted, namely :—

"on a selective basis";

(e) in rule 8, in clause (e), for the words "as may be specified by Central Government to be necessary and expedient for the welfare of consumers" the following words shall be substituted, namely :—

"as may be considered appropriate by the Committee.";

3. In the said rules, for FORM-AI appended thereto, the following form shall be substituted, namely :—

"FORM AI

(See rule 8 of Consumer Welfare Fund Rules, 1992

Important : Please fill up this form, furnishing correct details sought for, based on verifiable true state of affairs without causing suppression of any material information which, if resorted to, shall entail prosecution under the Act.

1. Name and full postal address of the applicant :

2. Status of the applicant under clause (b) of rule 2.

3. Date of establishment

4. Whether registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or any other relevant Act :

5. If yes, number and year of registration : (Attested copy of registration certificate to be enclosed)

6. Whether the organisation is of national|state level :

7. Number of Managing Committee members together with list of names, addresses and occupation of the office bearers

8. Brief details of the organisation, objectives and activities during the last three years :

9. Purpose for which the amount is required (Please state the details of the project and its proposed implementation) :

10. Amount of grant required-itemwise details under non-recurring|recurring to be enclosed :

11. Time schedule of the activities arranged :

12. The total amount incurred| invested by the applicant, or likely to be incurred by the applicant :

13. Sources of funding of balance amount whether the organisation is getting financial assistance from any other official| non-official source. If yes, give details :

14. Details of prosecution, if any, in a court of law launched against the applicant, during the last five years :

15. Copies of the following documents to be attached :—

(i) Constitution of the organisation and Articles of Association.

(ii) Last Annual Report and audited statement of accounts.

DECLARATION

(To be signed by the applicant or its authorised agent)

The particulars heretofore given, are true and correct. Nothing material has been suppressed. It is certified that I|we have read the guidelines, terms and conditions governing the scheme and undertake to abide by them on behalf of our organisation|institution. The financial assistance, if provided, shall be put to the declared use for promotion and protection of rights of consummers, or for standard marks. (Strike out whichever is inapplicable).

Dated————————

Station————————

APPLICANT

To

Member-Secretary,
Committee (Consumer Welfare Fund),
Krishi Bhawan,
New Delhi.

Recommendation of Member-Secretary.

Factual details furnished in the application have been verified in consultation with Ministry| Department of————————agency, who is|are administratively concerned in the matter, and found to be correct|incorrect. The claims of the applicant are recommended for consideration by the Committee. (Please give reasons in support of your recommendation).

Member-Secretary.

Committee (Consumer Welfare Fund)

Recommendation of the Committee.

Recommended for grast of Rs. ———————— (Rupees————————, in words) from the Consumer Welfare Fund, as discussed in the meeting held on————————(date).

Chairman

Committee."

[F.No. 313|3|90-CX.10(Pt.)]

JATINDERPAL SINGH, Under Secy.

Footnote : The Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. 29|92-Central Excises (N.T.) dated the 25th November, 1992 [G.S.R. 895(E) dated the 25th November, 1992].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994